रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2017/आषाढ़ 22, 1939

No. 624] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2017/ASADHA 22, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 876(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (सिपाही), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रंत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय में सिपाही के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवर्तन निदेशालय (सिपाही), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

Apr 08 2015 8:10AM HP LASERJET FAX p.2

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिपाही	279* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु0)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वर्तमान पदधारिता प्रभावित नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति ।	**प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड/ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/ मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो/ पुलिस/ राज्य पुलिस/अर्ध-सैनिक बलों में समतुल्य पद पर या वेतनमान पर नियमित आधार पर पद धारण करने वाले व्यक्ति । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया प्रतिनियुक्ति पर जारी रहने के लिए फिटनेस और उपयुक्तता का बीच में निर्धारण करने के लिए स्क्रीनिंग की शर्त के अधीन रहते हुए 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जारी रहने के लिए, चाहे जो भी कारण हो, अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे बिना किसी सूचना के तुरंत मूल काडर में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

Apr 08 2015 8:10AM HP LASERJET FAX p.4

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 12018/5/2016-एडी.ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2017

G.S.R. 876(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Enforcement (Sepoy), Group –'C' Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before as such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sepoy in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:–

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Enforcement (Sepoy,) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in pay matrix.**—The number of posts, its classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sepoy	279* (2017) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' – non-Gazetted, (non-Ministerial).	Level – 1 in pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Apr 08 2015 8:10AM HP LASERJET FAX p.3

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Deputation subject to present incumbency is not affected.	**Deputation:-** Personnel from Central Government/State Government/Central Board of Excise and Custom/Central Board of Direct Taxes/Narcotics Control Bureau/ Police/State Police/ Para military forces holding equivalent post or pay scale on regular basis. . **Note 1:**The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation shall ordinarily not exceed seven years subject to screening midway for assessing fitness and suitability for continuation on deputation and if a person is found unsuitable for continuation on deputation, for whatsoever reasons, he shall be reverted to parent cadre immediately without any notice. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the date of appointment on deputation.	Not applicable	Not applicable.

[F. No. A-12018/5/2016 Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.07.18 15:12:15 +05'30'

Apr 08 2015 8:10AM HP LASERJET FAX p.5